PRAKRITI - The International Multidisciplinary Research Journal
Vol.-2, Issue-1, January, 2025 ISSN: 3048-927X

सीमान्त कृषकों की स्थिति का भौगोलिक अध्ययन : दौसा जिले की महवा तहसील के संदर्भ में

डॉ. चन्दन मल शर्मा,[1] एवं डॉ. गौरव कुमार जैन [2]

[1]सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, टोडाभीम, करौली, (राजस्थान)

[2]सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

Corresponding Author E-Mail. :- gauravkumarjain85@gmail.com

सारांश–

भारत में कृषि एक ऐसी जीवन पद्धति और परम्परा है जिसने लोगों के विचार, दृष्टिकोण, संस्कृति और आर्थिक जीवन को सदियों से सँवारा है। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ अभी तक कृषि की दशा संतोषजनक नहीं है। निम्न स्तर पर सीमित विकास के बावजूद आज भी भारतीय कृषि परम्परावादी है। भारतीय किसान कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं करता है, बल्कि जीविकोपार्जन के लिए करता है। कृषि की परम्परागत विधियों, पूंजी की कमी, भूमि सुधार की अपूर्णता, विपणन एवं वित्त संबंधी कठिनाईयों आदि के कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता अत्यंत कम है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु घरेलु खाद्य सुरक्षा के लिए भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्धनता के स्तर में तेजी से कमी लाने के लिए आय व धन संपदा के वितरण में समानता लाने के लिए कृषि का तेजी से विकास होना अति आवश्यक है। कृषि में यह विकास तभी सम्भव होगा जब हर एक किसान को कृषि ज्ञान के साथ व्यापारिक कृषि, आधुनिक तकनीकी का उपयोग व शिक्षा, सिंचाई के आधुनिक साधन, कृषि उपजों की सही कीमत, सरकार द्वारा बिना कर के मासिक सहयोग आदि उपलब्ध हो। इन सभी सुविधाओं से यहाँ की जनता अभी कोसों दूर है। अध्ययन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में विशेष बल देने की आवश्यकता है।

मूल बिंदु–

आर्थिक जीवन, आधुनिक तकनीकी, किसान, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, संस्कृति, विपणन एवं वित्त।

अध्ययन क्षेत्र–

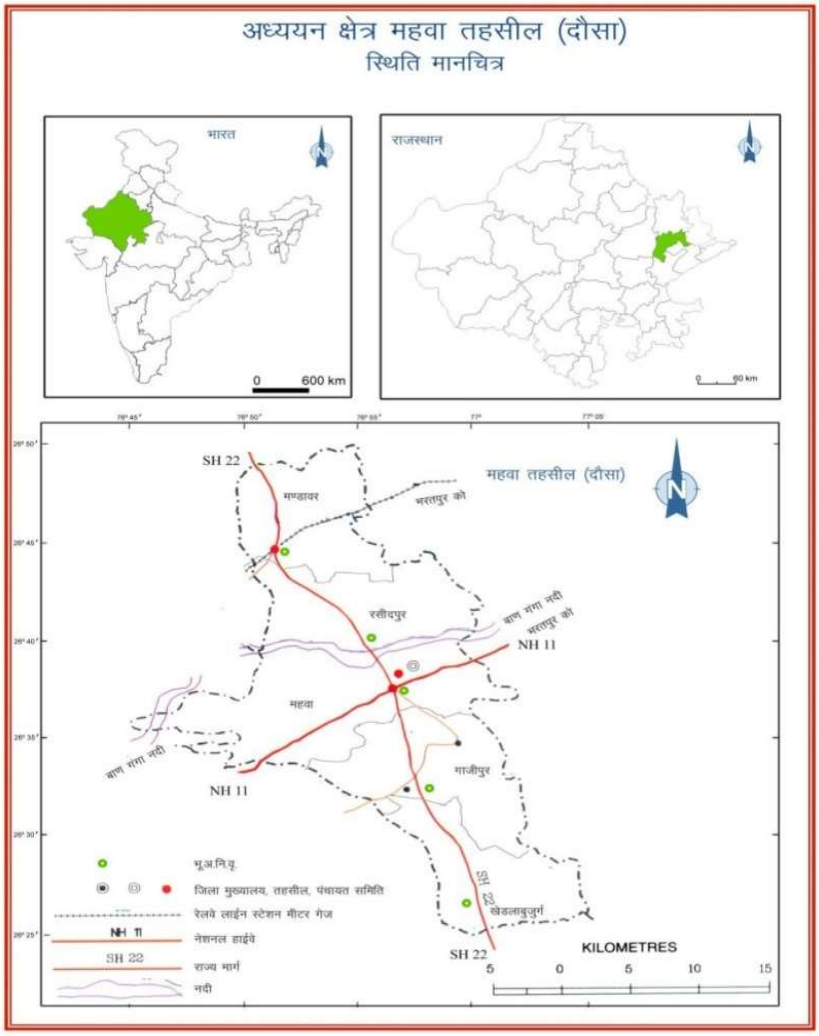

मानचित्र संख्या – 1

बाण गंगा नदी के दायें किनारे स्थित महवा का विस्तार 27^0 32' उत्तरी अक्षांश एंव 76^0 562' पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो 487.29 वर्ग किमी में फैला है। यह मुख्यतः उप–उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में आता है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई न्यूनतम 203.2 मीटर है। जहाँ की वार्षिक औसत वर्षा 70 सेमी. तक मापी गयी है। यहाँ शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है जिसे स्थानीय भाषा में 'मावट' कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 45^0C से अधिक पाया जाता है। वर्ष 2011 में महवा की जनसंख्या 24846 हो गई है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. सीमांत कृषकों द्वारा अपनाई जा रही कृषि तकनीकी का अध्ययन करना।
2. सीमांत कृषकों द्वारा कृषि में उपयोग करने वाले साधनों का अध्ययन करना।
3. सीमांत कृषकों द्वारा अपनाए जा रहे फसलोत्पादन के तरीकों का अध्ययन करना।
4. सीमांत कृषकों के द्वारा किए जा रहे फसलोत्पादन का अध्ययन करना।
5. सीमांत कृषकों को तकनीकी ज्ञान के प्राप्त होने वाले स्त्रोतों का अध्ययन करना।
6. सीमांत कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों का अध्ययन करना।

विधि तंत्रः–

प्रस्तुत अध्ययन हेतु राजस्थान के दौसा जिले के महवा तहसील का चयन किया गया है। इसमें मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों के प्रत्यक्ष अवलोकन एवं द्वितीयक आंकड़ों को आधार बनाया गया है। शोध हेतु विकासखंड के कुल 50 कृषक परिवारों का चयन किया गया है। जिनका चयन सउद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली से किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है। शोध के दौरान साक्षात्कार, समूह चर्चा एवं अवलोकन प्रविधियों का भी प्रयोग किया गया है।

पृष्ठभूमि–

जिला दौसा के महवा तहसील के गाँवों में कृषि योग्य भूमि का वितरण अत्यन्त दोषपूर्ण है। इस अध्ययन क्षेत्र में कुछ परिवार कम भूमि वाले हैं और कुछ बिना भूमी वाले अपना जीवन–यापन कठिनाई से कर रहे हैं। जिन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ये सीमांत कृषक केवल अपनी सीमित भूमि का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। सीमित भूमि होने के कारण इनकी आय इतनी कम है कि वे अधिक कठिनाई के साथ जीवित–यापन रहते हैं। जिस कारण इनका आर्थिक स्तर गिरा हुआ है। अपनी जीविका कमाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस दृष्टि से वे परम्परावादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। इसलिए आज भी इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आर्थिक यथार्थवाद की सीमाएँ उनसे मीलों दूर हैं। अतः उसमें मौलिक सुधारों की अति आवश्यकता है। सीमांत कृषकों की स्थिति बहुत कमजोर, गिरी हुई एवं दयनीय है और इसी कारण इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तरह–तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। निःसंदेह देश की पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था का यह बहुत ही उपेक्षित तथा पिछड़ा हुआ भाग है। इस भाग की समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाए बिना कृषि अर्थव्यवस्था में वास्तविक और स्थायी तौर पर सुधार लाना असंभव है। सीमांत कृषकों की स्थिति तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से निर्बल है। कृषिभूमि उपयोग, मानव की अति प्राचीन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। इसकी कृषि प्रणालियों एवं ढंग, काल के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है एवं सीमांत कृषकों की समस्या भारतीय कृषि व्यवस्था केकारण है। अतः इस वर्ग पर ध्यान देना हमारी अतिआवश्यक प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। भारत जैसे विकासोन्मुखी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि का विकास परम आवश्यक है अतः सीमांत कृषकों के विकास से ही कृषि विकास संभव है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि को प्राथमिकता दी गई हैं एवं कृषि तकनीकों का प्रचार–प्रसार किया गया है। सीमांत कृषकों को भी कृषि तकनीकी का ज्ञान दिया गया जिससे उनका विकास हो सके। इस हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम भी चलाए गए। परन्तु सीमांत कृषकों का आर्थिक रुप से पिछड़ा हुआ होने के कारण सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का पूर्ण रुप से लाभ नहीं ले पाने के कारण सीमान्त कृषकों में कृषि हेतु तकनीकी ज्ञान व आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने का प्रतिशत बहुत कम है।

1. कृषि तकनीकी–

वर्तमान समय में कृषि करने के ढंग को हम मुख्य रुप से दो भागों में बांट सकते हैं। **प्रथम–** परम्परागत कृषि, **द्वितीय–** आधुनिक कृषि। परम्परागत कृषि के अंतर्गत कृषि पुराने तौर तरीके से की जाती है जिसमें पशुओं का उपयोग, पशु खाद आदि मुख्य रुप से सम्मिलित किए जाते हैं। आधुनिक कृषि के अंतर्गत उन्नतबीज, नए तकनीकी साधन, रासायनिक खाद आदि का उपयोग किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त कृषकों द्वारा प्रयुक्त तकनीक का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट होता है–

तालिका 1: अध्ययन क्षेत्र में कृषि तकनीकी

क्र.सं.	कृषि तकनीक के प्रकार	आवृति	प्रतिशत
1	परम्परागत	5	10
2	आधुनिक	10	20
3	1+2	35	70
कुल योग		50	100

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 1: कृषि तकनीक के प्रकार (प्रतिशत में)

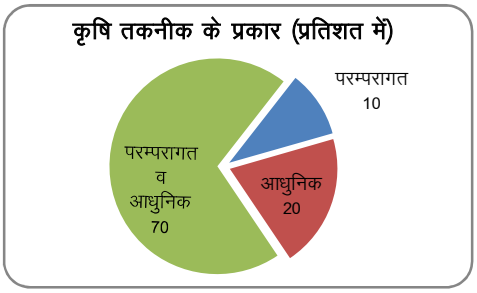

तालिका 1 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में केवल परम्परागत तरीके से कृषि करने वाले उत्तरदाता कृषकों का प्रतिशत 10 है। आधुनिक तकनीक से कृषि करने वाले उत्तरदाता कृषकों का प्रतिशत 20 है। तथा 70 प्रतिशत उत्तरदाता कृषक परम्परागत तथा आधुनिक दोनों तकनीकों की सहायता से कृषि करते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र में तकनीकी तरीके से कृषि करने का अभाव है।

2. कृषि का तरीका–

कम समय में अधिकाधिक कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषक विभिन्न तरीकों से फसलों का उत्पादन करता है। जिसमें मुख्य रुप से एक फसली, द्विफसली एवं मिश्रित कृषि आती हैं।

तालिका 2: अध्ययन क्षेत्र में कृषि के प्रकार

क्र.सं.	कृषि के प्रकार	आवृति	प्रतिशत
1	परम्परागत	25	50
2	आधुनिक	10	20
3	1+2	15	30
कुल योग		50	100

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 2: कृषि के प्रकार (प्रतिशत में)

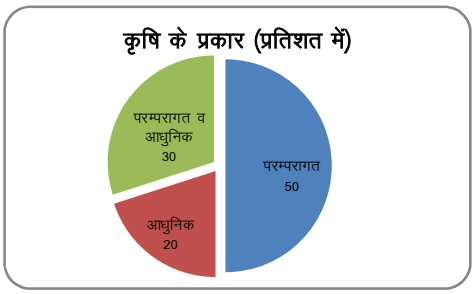

तालिका 2 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 50 प्रतिशत कृषक एक फसली, 20 प्रतिशत कृषक द्विफसली तथा 30 प्रतिशत कृषक मिश्रित कृषि करते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि सीमान्त कृषकों के पास आधुनिक संसाधनों व सिंचाई के साधनों की कमी है। सीमान्त कृषकों के पास बहुत कम कृषि भूमि होती है अतः अधिकांश कृषक उन्हीं फसलों का उत्पादन करते हैं जो उनके खाद्यान्नों की पूर्ति कर सकें।

3. कृषि में उपयोग करने वाले साधन–

अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों का सीमान्त कृषकों द्वारा उपयोग निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 3:
कृषकों द्वारा कृषि में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्र

क्र.सं.	कृषि यंत्र	आवृति	प्रतिशत
1	ट्रेक्टर	50	100
2	हार्वेस्टर	10	20
3	थ्रेशर	2	4
4	पम्प	50	100
5	अन्य	5	10
कुल योग		N=50	*

*बहुविकल्पीय उत्तर

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 3: कृषि यंत्र का उपयोग (प्रतिशत में)

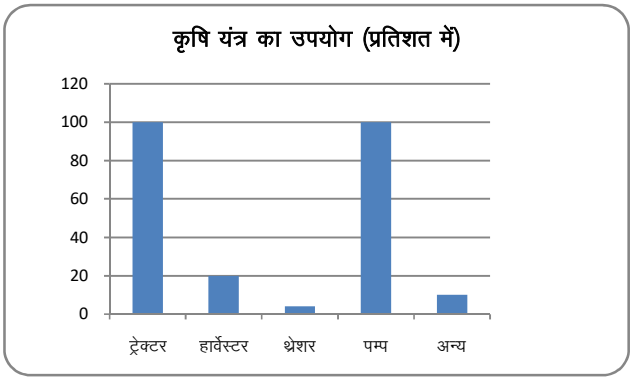

तालिका 3 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 20 प्रतिशत कृषक ही पम्प अथवा ट्यूबवेल का उपयोग कर रहे हैं और बाकी के 80 प्रतिशत कृषक जल हेतु वर्षा पर निर्भर है और जो 20 प्रतिशत कृषक सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का प्रयोग कर रहे हैं उनमें से भी मात्र 5 या 7 प्रतिशत ही कृषक पूर्ण रुप से उनका उपयोग कर पा रहे हैं, बाकि कुछ ही मात्रा में पम्प तथा ट्यूबवेल का उपयोग कर रहे हैं। हार्वेस्टर का उपयोग मात्र 4 प्रतिशत सीमांत कृषक ही करते हैं। अतः स्पष्ट है कि कृषकों द्वारा कृषि कार्य में आधुनिक यंत्रों का उपयोग कम हैं। लगभग सभी कृषक कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर का उपयोग करते हैं। परन्तु कृषि में ट्रेक्टर से होने वाले सभी कार्यों को सीमान्त कृषक ट्रेक्टर से नहीं कर पाते। ट्रेक्टर से कुछ सीमान्त कृषक जुताई का कार्य करते हैं तो कुछ केवल बुवाई का कार्य करते हैं। अध्ययन क्षेत्र के कृषकों में ऐसे सीमांत कृषकों का अभाव है जो जुताई–बुवाई सभी कार्य ट्रेक्टर के द्वारा करते हों। तथा ऐसे सीमांत कृषकों का भी अभाव है जिनके पास कृषि कार्य करने हेतु अपने स्वयं का निजी ट्रेक्टर हो। अतः सीमान्त कृषक ट्रेक्टर द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को किराए से करवाते हैं। कृषकों के पास सिंचाई के साधनों की कमी होती है।

4. फसलोत्पादन–

महवा विकासखंड में अधिकतर भूमि असिंचित है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जिसमें कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करती है। अतः मानसून की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यहाँ गेहूँ, बाजरा, ज्वार, सरसों और दलहन आदि का उत्पादन किया जाता है।

तालिका 4.1:
सीमांत कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों के प्रकार

क्र.सं.	फसलों के प्रकार	आवृति	प्रतिशत
1	खरीफ	30	60
2	रबी व खरीफ	20	40
कुल योग		50	100

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 4.1 : फसलों के प्रकार (प्रतिशत में)

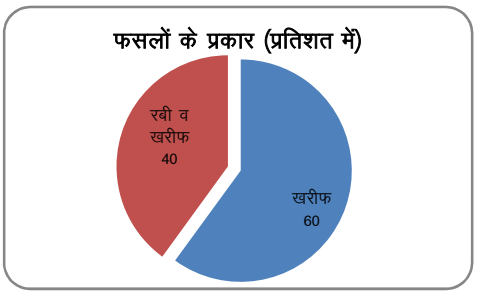

तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि 60 प्रतिशत सीमान्त कृषक खरीफ की फसलों का उत्पादन करते हैं। खरीफ की फसलों में बाजरा,मक्का, ज्वार आदि फसलों को सम्मिलित किया जाता है। जिन्हें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। 40 प्रतिशत ऐसे सीमान्त कृषक हैं जो रबी व खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन करते हैं। ये 40 प्रतिशत कृषक इन फसलों का उत्पादन अपने खाद्यान्न पूर्ति हेतु करते हैं। खाद्यान्न पूर्ति के अतिरिक्त कुछ कृषक इन फसलों को मंडियों में बेच देते हैं जिससे इन्हें थोड़ी बहुत आय हो जाती है और उनकी आजीविका चलती रहती है।

तालिका 4.2:
सीमांत कृषकों द्वारा रबी की फसलों का उत्पादन

क्र.सं.	फसल के प्रकार	आवृति	प्रतिशत
1	गेहूँ	10	20
2	सरसों	15	30
3	गेहूँ व सरसों	20	40
4	अन्य	5	10
कुल योग		50	100

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 4.2 : प्रमुख फसलों को उत्पादन (प्रतिशत में)

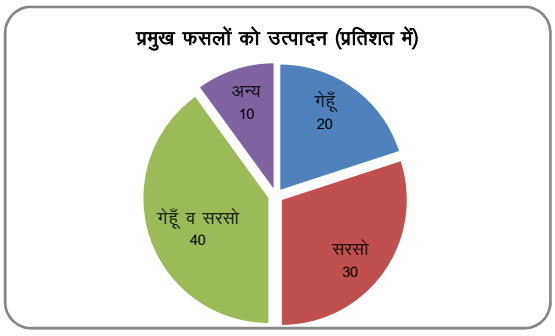

तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि सीमान्त कृषकों के पास सिंचाई के साधनों की कमी होने के कारण तथा वर्षा पर निर्भरता के कारण सीमांत कृषक अपनी कम जमीन पर केवल अपने उपयोग हेतु ही गेहूँ का उत्पादन करते हैं। 30 प्रतिशत सीमान्त कृषक सरसों का उत्पादन करते हैं। सरसों यहाँ की प्रमुख फसल है। इसकी खेती यहाँ लम्बे समय से की जाती है अध्ययन क्षेत्र में शीतकालीन रबी फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है। इस विकासखंड में इसे सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। इसकी कृषि हेतु सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। अतः अध्ययन क्षेत्र में 30 प्रतिशत सीमान्त कृषकों द्वारा सरसों का उत्पादन किया जाता है। 10 प्रतिशत सीमांत कृषकों द्वारा

अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये कृषक मुख्यतः आलू, प्याज आदि फसलों का उत्पादन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में 40 प्रतिशत सीमांत कृषक गेहूँ तथा सरसों दोनों फसलों का उत्पादन करते हैं। गेहूँ तथा सरसों का उत्पादन बेचने के लिए करते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि भूमि की कमी तथा सिंचाई के साधनों की कमी होने के कारण सीमान्त कृषक अपनी कम भूमि पर अधिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं। जिस कारण इनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यो बनी हुई है।

तालिका 4.3:
सीमांत कृषकों द्वारा उत्पादित खरीफ की फसलें

क्र.सं.	फसल के प्रकार	आवृति	प्रतिशत
1	बाजरा	35	70
2	ज्वार	10	20
3	मक्का	–	–
4	मिश्रित	05	10
कुल योग		50	100

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 4.3: फसल के प्रकार (प्रतिशत में)

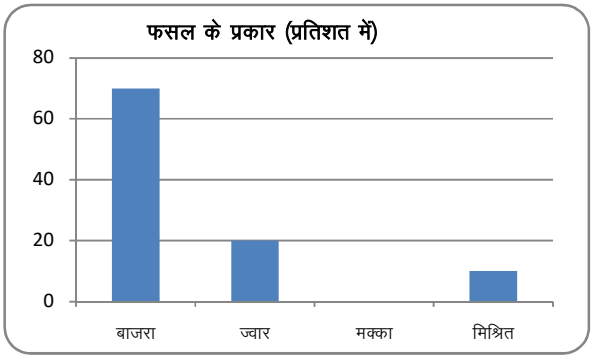

तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 70 प्रतिशत सीमान्त कृषक बाजरा का उत्पादन करते हैं। बाजरे का उत्पादन जो कि विकासखंड के कुल कृषि क्षेत्र का 87 प्रतिशत क्षेत्रफल पर है तथा विकासखण्ड भौगौलिक क्षेत्रफल के अनुसार बाजरा का उत्पादन विकासखंड के कुल 67.60 प्रतिशत भाग पर होता है। उत्तरदाता कृषकों में 10 प्रतिशत सीमान्त कृषक मिश्रित फसल का उत्पादन करते हैं। मिश्रित फसलों के उत्पादन में कुछ उत्पादन को अपने उपयोग हेतु रखते है तथा कुछ को बेच देते हैं। जिससे इनकी आजीविका चलती है।

5. तकनीकी ज्ञान के स्त्रोत–

तकनीकी ज्ञान से तात्पर्य कृषकों में कृषि के विकास हेतु नवीन ज्ञान का प्रसार करना है और ये नवीन ज्ञान तकनीकी के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तकनीकी ज्ञान के प्रभाव के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा निर्धन कृषकों को अधिक समृद्ध बनाया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान प्राप्ति हेतु विभिन्न स्त्रोतों का अवलोकन किया गया है। इनमें टी.वी. रेडियो, समाचार पत्र प्रमुख हैं। आधुनिकता के प्रभाव के कारण आजकल गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी आजकल ये चीजें होती हैं और इन्हीं स्त्रोतों के माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। टी.वी. व मोबाईल वर्तमान समय में ज्ञान प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्त्रोत हैं। इसमें प्रसारित किए जाने वाले कृषि संबंधी विभिन्न विज्ञापनों के द्वारा तथा कृषि कार्यक्रमों के द्वारा किसानों को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार रेडियों के द्वारा भी किसान मनोरंजन के साथ–साथ कृषि कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त कृषकों तथा अन्य कृषकों के पास इन साधनों का उपयोग देखा गया है जो कि तकनीकी ज्ञान के प्रमुख स्त्रोत हैं।

तालिका 5:
सीमांत कृषकों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के आधार

क्र.सं.	तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के स्त्रोत	आवृति	प्रतिशत
1	टेलीविजन व मोबाईल	20	40
2	रेडियो	20	40
3	समाचार पत्र	5	10
4	अन्य	5	10
कुल योग		50	100

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 5: तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के स्त्रोत (प्रतिशत में)

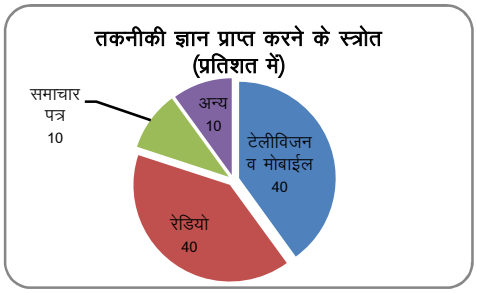

तालिका 5 से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता कृषकों में तकनीकी ज्ञान के स्त्रोतो में टी.वी., मोबाईल तथा रेडियो का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। 40 प्रतिशत सीमांत कृषकों द्वारा टी.वी. व मोबाईल का उपयोग किया जाता है। अवलोकन के दौरान इन सीमांत कृषकों के घरों में टी.वी. व मोबाईल का उपयोग देखा गया है। टी. वी. व मोबाईल के द्वारा प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कृषि कार्यक्रमों से इन्हें तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। साथ–ही–साथ ये मनोरंजन का भी प्रमुख साधन है। टी.वी. के समान ही रेडियों बहुत कम मूल्य में उपलब्ध होने वाला तकनीकी ज्ञान प्राप्ति का स्त्रोत है। जिसका उपयोग 40 प्रतिशत सीमांत कृषकों के द्वारा किया जाता है। रेडियों के द्वारा भी न सिर्फ मनोरंजन के कार्यक्रम बल्कि विभिन्न कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता हैं। जिससे सीमान्त कृषकों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त होता है। 10 प्रतिशत ऐसे सीमान्त कृषक हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। इन 10 प्रतिशत सीमान्त कृषकों में युवा वर्ग के सीमान्त कृषक अधिक संख्या में हैं। इन युवाओं में शिक्षा का स्तर उच्च देखा गया है जिस कारण से युवावर्ग के सीमान्त कृषक रेडियों एवं टी.वी. के साथ–साथ समाचार पत्रों का अधिक उपयोग करते हैं। अन्य स्त्रोतों से कृषि के बारे में नवीन तकनीकी की जानकारी प्राप्त करने वाले 10 प्रतिशत सीमान्त कृषक है। इन अन्य स्त्रोतो में सामुहिक चर्चा प्रमुख है।

6. उर्वरक–

अध्ययन क्षेत्र में उर्वरकों का उपयोग निम्न तालिका से स्पष्ट है–

तालिका 6:
कृषकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले उर्वरक

क्र.सं.	उर्वरक	आवृति	प्रतिशत
1	रासायनिक खाद	35	70
2	जैविक खाद	–	–
3	पशु खाद	–	–
4	पशु+रासायनिक खाद	15	30
कुल योग		50	100

स्त्रोत : शोधकर्ता द्वारा संकलित एवं आंकलित

आरेख 6: उर्वरक का उपयोग (प्रतिशत में)

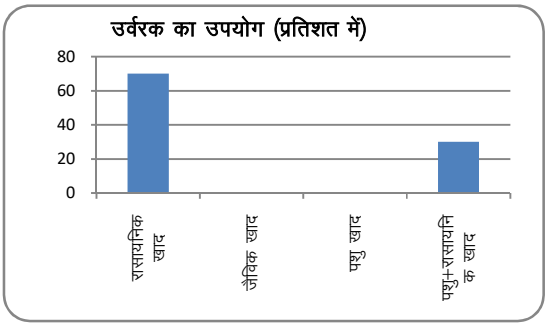

तालिका 6 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक कृषक रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। अध्ययन क्षेत्र के 70 प्रतिशत कृषक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इनरासायनिक खादों में मुख्य रुप से डी.ए.पी., यूरिया आदि हैं। सीमांत कृषक इन खादों का उपयोग तो करते हैं परन्तु जितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होना चाहिए उतना नहीं कर पाते। जिस कारण से प्रति एकड़ उत्पादन रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बाद भी बहुत कम है। अध्ययन क्षेत्र में सीमान्त कृषकों द्वारा जैविक खाद का उपयोग न के बराबर है। इसका मुख्य कारण जैविक खाद का अधिक मूल्य है। परन्तु वर्तमान समय में कम समय में अधिक से अधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु जैविक खाद अति आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक के साथ–साथ पशुखाद का भी उपयोग कृषकों द्वारा किया जा रहा है। जबकि दोनों प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करने वाले 30 प्रतिशत कृषक हैं। वर्तमान समय में भी पशुखाद का उपयोग करना यह स्पष्ट करता है कि कृषक आज भी परम्परागत तरीके से कृषि कर रहे हैं।

निष्कर्ष–

1. सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इन कृषकों में शिक्षा की कमी, जागरुकता की कमी तथा रूढ़िवादिता, अंधविश्वास ज्यादा हैं। मुख्य रुप से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण ये कृषक आधुनिक कृषि साधनों, उन्नतबीज व अन्य योजनाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं।
2. सीमान्त कृषकों की आय कम होने के कारण सिंचाई के साधनों पर अधिक व्यय नहीं कर पातें हैं और वे एक ही फसल का उत्पादन अधिक करतें हैं। अध्ययन क्षेत्र में एक फसल उत्पादन अधिक होने का मुख्य कारण सिंचाई के साधनों की कमी हैं। जिस कारण से कृषक कृषि हेतु केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं।
3. हार्वेस्टर कम समय में तो कार्य करती है परन्तु इसका पारिश्रमिक आम थ्रेशर मशीनों की अपेक्षा अधिक होता है। हार्वेस्टर जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग कम होने का दुसरा मुख्य कारण जोत का आकार छोटा होना तथा हार्वेस्टर द्वारा थ्रेसिंग किए जाने पर कृषकों को थ्रेशिंग के बाद पशुओं हेतु मिलने वाला भूसा नहीं मिल पाता है। जो कि सीमांत कृषकों को अपने पशुओं हेतु आवश्यक है।
4. अन्य साधनों में कीटनाशक छिड़कने की मशीनें, फसलों को ढोने की मशीनें, खाद डालने संबंधी मशीनें, सिंचाई हेतु आधुनिक यंत्रो आदि का उपयोग आता है। जो कि सीमान्त कृषकों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता इसका मुख्य कारण सीमान्त कृषकों में शिक्षा का अभाव, तकनीकी ज्ञान का अभाव, पूंजी का अभाव तथा परम्परागत कृषि हैं।

5. बाजरा एक व्यापारिक फसल होने के कारण कृषक खरीफ की फसल के समय बाजरा का ही उत्पादन करते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इन खरीफ की फसलों के उत्पादन में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और सीमान्त कृषकों को सिंचाई के साधनों पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है।
6. सीमान्त कृषकों द्वारा रबी की फसलों का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है। क्योंकि इन फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सीमान्त कृषक उन्नत सिंचाई साधनों का उपयोग नही कर पाते हैं।
7. ज्वार तथा मक्का का उत्पादन खरीफ की फसलों में सीमान्त कृषक केवल अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण सीमान्त कृषक उर्वरकों तथा रासायनिक खादों का उपयोग नही कर पाते हैं।

सुझाव–

1. कृषि उपज को बढ़ाने हेतु सीमान्त कृषकों को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के लिए अधिक से अधिक सप्लाई व सरकारी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।
2. अध्ययन क्षेत्र के सीमांत कृषक, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः उचित दर पर आधुनिक यंत्रों के लिए कम ब्याज पर उचित ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. सीमांत कृषकों को कृषि तकनीकी के प्रशिक्षण एवं सही उपयोग की जानकारी/शिक्षा दी जानी चाहिए।
4. कृषि तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही कृषि विकास हेतु आवश्यक सुविधाएँ तथा सिंचाई सुविधा से वंचित किसानों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. गुप्ता, एन.एल., (1999) :"राजस्थान में कृषि विकास", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. कपूर, सुदर्शन कुमार, (2009) :"भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. मोघे, बसंत एवं जैन, एस.वी., (1998) :"राजस्थान में कृषि उत्पादन" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
4. मल्होत्रा, एस.पी., (1978) :"सोशियो इकोनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ पापुलेशन इन ऐरिड राजस्थान, काजरी, जोधपुर।
5. मास्टर प्लान, महवा, (2018–38), वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर, (नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर)।
6. नई दुनिया, (2001), उच्च तकनीक के प्रति किसानों में अरूची, कृषि विशेष।
7. पाटनी, आर. एस., (1990), कृषि अर्थशास्त्र, संजीव प्रकाशन मेरठ।
8. पवार, एम.एस., (2012) :"एनवायरमेंटल चैन्ज एण्ड सस्टेन्ड डवलपमैन्ट इन दा न्यू मिलेनियम" वोल्यूम न. 03 बुक ओन एनवायरमेंटल इन नेट।
9. सिंह, जसवीर, (2005) :"एग्रीकल्चरल एटलस ऑफ इण्डिया, ए ज्योग्राफीकल एनालाइसिस", विशाल पब्लिकेशन, कुरुक्षेत्र।
10. सिंह, आर.एल. (1999) शस्य विज्ञान (कृषि वर्ग), जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
11. सिंह, सविंद्र(1991) पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहवाद।
12. योजना (1997) विकास एवं पर्यावरण, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।